प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.04.2026

थाना मसूरी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 10 घण्टे में सफल निस्तारण करते हुये नामित /वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार जिसकी निशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 नाजायज छुरी (आला कत्ल) बरामद।

दिनांक 27.04.2026 को समय करीब 14.45 बजे वादिया का पति गुलफाम सब्जी की ठेली लेकर एसएस मीट फैक्ट्री की पुलिया वाले गेट के पास आ रहे थे तभी वादिया का बहनोई आरिफ पुत्र अनवार निवासी मौहल्ला टंकी वाला शाहजहांपुर थाना किठौर जनपद मेरठ हाल पता इरफान के मकान रेलवे रोड मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ वाद विवाद करने लगा किसी धारदार नुकीली चीज से वादिया के पति गुलफाम पर वार करके गम्भीर रूप से घायल कर दिया उपचार हेतु सीएचसी डासना गाजियाबाद ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया जिसके सम्बन्ध में वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर हत्या कारित करने वाला अभियुक्त आरिफ पुत्र अनवार निवासी मौहल्ला टंकी वाला शाहजहांपुर थाना किठौर जनपद मेरठ हाल पता इरफान के मकान रेलवे रोड मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को थाना क्षेत्र मसूरी भूडगढी बम्बे से गिरफ्तार किया गया। निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक छुरी (आला कत्ल) बरामद हुई। अभियोग में बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त आरिफ उपरोक्त ने घटना के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि वह टंकी के पास कस्बा शाहजहांपुर थाना किठौर जनपद मेरठ का मूल निवासी है तथा वर्तमान में पिछले करीब 10 वर्ष से इरफान के मकान स्टेशन रोड कस्बा मसूरी में अपने परिवार के साथ रहता है। मेरे 04 बच्चे है तथा मैं एसएस फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता हूं। मेरा साडू गुलफाम जो मेरे सगे चाचा का लडका भी है वह भी मेरे ही उपरोक्त मौहल्ले का मूल निवासी तथा वर्तमान में मेरा साडू भी अपने परिवार के साथ मेरे घर के पास किराये पर ही रहता है तथा वह सब्जी बेचने का काम करता है और हम दोनों को शराब व खाने पीने का शौक है। दिनांक 27.04.2026 को मेरा साडू गुलफाम भूडगढी की तरफ बम्बे के पास सब्जी बेच रहा था। मैं भी उधर SS फैक्ट्री की तरफ गया था तो मैं अपने साडू से खाने के लिये खीरा मांगने लगा तो मेरे साडू गुलफाम ने गुस्से में मुझसे कहा कि पहले 500 रुपये उधार वाले दो तब खीरा दूंगा मेरे बार बार मांगने पर वह मुझे बिना पैसे के खीरा नही दे रहा था इस पर मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने आवेश में आकर चाकू से अपने साढू गुलफाम पर वार कर दिये जिससे वह गम्भीर रूप से घायल होकर वही रास्ते पर गिर पर पडा था डर की वजह से मैं उसे वही छोडकर भाग गया था तथा जिस चाकू से मैंने अपने साढू गुलफाम पर वार किया था वह चाकू (आला कत्ल) मैंने आपको अभी बरामद कराया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक गुलफाम पर थाना किठौर जनपद मेरठ में 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - आरिफ पुत्र अनवार निवासी मौहल्ला टंकी वाला शाहजहांपुर थाना किठौर जनपद मेरठ हालपता इरफान के मकान रेलवे रोड मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

एक छुरी नाजायज (आला कत्ल) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। थाना किठौर जनपद मेरठ में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त आकाश द्वारा विगत 07 वर्ष से वादिया के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना तथा शादी की कहने पर मारपीट व धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 69/115(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 28.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आकाश शर्मा पुत्र स्व0 नरेन्द्र कुमार निवासी शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष को शनि मंदिर के पास करावल नगर तिराहा थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पिछले काफी समय से वादिया से बातचीत करता था तथा मैंने उसके साथ शादी का वादा करके शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आकाश शर्मा पुत्र स्व0 नरेन्द्र कुमार निवासी शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री जय कुमार तत्कालीन थाना नन्दग्राम द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना

एवं विशेष लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार बखरवा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 363/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त दिवाकर यादव पुत्र सुखवीर सिंह यादव, निवासी- नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-02, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 28.04.2026 को धारा- 3/4 पॉक्सो अधि0 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा दिनांक 03.04.2021 को थाना नन्दग्राम पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री संजीव कुमार बखरवा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**म0आ0 पूनम राणा** पैरोकार थाना नन्दग्राम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ को बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 21.02 ग्राम अवैध स्मैक तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि बरामद।

दिनांक 27.04.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ को बेचने वाला अभियुक्त आशु पुत्र मनोज निवासी इन्द्रापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 22 पुडिया कुल वजन 21.02 ग्राम अवैध स्मैक, मोटरसाइकिल व 210 रु नगद बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा– 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं कलुआ नाम के व्यक्ति से चोरी छिपे अवैध स्मैक खरीद कर लाता हूँ तथा अधिक पैसे कमाने के लिये इसी मोटरसाइकिल से घूम-घूमकर मैं राह चलते व्यक्तियों को छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेच देता हूँ। आज मैं स्मैक बेचने के लिये ही जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशु पुत्र मनोज निवासी इन्द्रापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में भी थाना मोदीनगर पर चोरी के 02 अन्य अभियोग पंजीकृत है। (कुल-03)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 22 पुडिया कुल वजन 21.02 ग्राम अवैध स्मैक व 210 रु नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 170 पुडिया गांजा कुल 911 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 27.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध गांजा के साथ अभियुक्त अंकित पुत्र सोनवीर निवासी बुद्ध बाजार, राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 170 पुडिया गांजा कुल 911 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ तथा थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और सन्नी अवैध गांजा को आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेच देते है और मुनाफा कमा कर अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अंकित पुत्र सोनवीर निवासी बुद्ध बाजार, राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

वांछित अभियुक्त

सन्नी

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 170 पुडिया गांजा कुल 911 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में भी 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का थाना लोनी बॉर्डर पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियोग मे वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद।

दिनांक 26.4.2026 को वादी द्वारा थाना लोनी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण आमिर उर्फ सोनू पुत्र जहीर निवासी सुभाष पार्क गुर्जर चौक बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष आदि द्वारा वादी के लड़के सोनू के साथ डंडे से मारपीट करना व जातिसूचक शब्द कहना तथा वादी के लडके सोनू की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना जिसके

सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा 105/115(2) बीएनएस एवं 3(2)(v) SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त जहीर पुत्र इदरीश निवासी सुभाष पार्क गुर्जर चौक बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष का नाम भी प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी एवं गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 28.4.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्तगण 1.आमिर उर्फ सोनू पुत्र जहीर निवासी सुभाष पार्क गुर्जर चौक बागरानप लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष 2. जहीर पुत्र इदरीश निवासी सुभाष पार्क गुर्जर चौक बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम का नाम व पता–

1.आमिर उर्फ सोनू पुत्र जहीर निवासी सुभाष पार्क गुर्जर चौक बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

2. जहीर पुत्र इदरीश निवासी सुभाष पार्क गुर्जर चौक बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त 01 डंडा बरामद।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि विवादित मकान की साफ- सफाई को लेकर सोनू पुत्र चरण सिंह निवासी बागराणप लोनी गाजियाबाद के साथ मारपीट हो गयी थी, गुस्सा आने पर हमने उसे डंडे से मारा था जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी थी। पकड़े जाने के डर से हम छुप गए थे और आज बाहर जाने की फिराक मे निकले थे कि तभी हमें पुलिस ने पकड़ लिया।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 27.04.2026 को वादी (सबस्टेशन परिचालक विद्युत विभाग चिरौडी) द्वारा थाना लोनी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त कपिल पुत्र फिरे उम्र 35 वर्ष व बंटी पुत्र राजपाल निवासीगण खडखडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष द्वारा वादी के साथ चिरौडी बिजली घर पर मारपीट करने, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देना व लॉक बुक फाड़ने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा- 121(1)/352/351(3)/324(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 28.04.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त कपिल पुत्र फिरे निवासी खडखडी थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने बिजली की सप्लाई ना होने के कारण वादी (सबस्टेशन परिचालक विद्युत विभाग चिरौडी) के साथ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। मुझसे जो ये

पिस्टल आपको मिली है, ये मैंने अपने दोस्त मोहित मोगल निवासी निठौरा लोनी गाजियाबाद से कुछ समय पहले ली थी, मोहित की मृत्यु हो गयी है वह अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिस पर पूर्व से ही काफी मुकदमे थे। मैंने ये पिस्टल लोगों में भय व्याप्त करने व शौक के लिए अपने पास रखी हुई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता–

कपिल पुत्र फिरे निवासी खडखडी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।

वांछित अभियुक्त –

बंटी पुत्र राजपाल निवासी खडखडी थाना लोनी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध पिस्टल .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में भी 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।